भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 469

(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

शेल कंपनियों के साथ व्यापार

469. श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों जो अनजाने में शेल कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं, के लिए कोई सुरक्षा उपाय लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों के बीच शेल कंपनियों के साथ कारोबार करने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'शेल कंपनी' पद को परिभाषित नहीं किया गया है।

तथापि, सरकार ने कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (संशोधित नियम 2019) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के तहत उन कंपनियों की पहचान और नाम हटाने, जिन्होंने तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की लगातार अवधि के लिए अपनी वित्तीय विवरणी और/या वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की है, के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया है। पिछले 3 वर्षों में कुल 1,27,952 कंपनियों के नाम हटाए गए हैं।

(ग) और (घ): ऐसी हटाई गई कंपनियों के साथ लेनदेन के संबंध में सुरक्षोपाय तैयार करने के उद्देश्य के लिए सरकार ने दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि(अ) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III को संशोधित किया है जिसका पाठ निम्नप्रकार से है:

हटाई गई कंपनियों से संबंध (डीआईवी-I और डीआईवी -II दोनों निकायों के लिए लागू)

जहां कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन हैं वहां कंपनी निम्नलिखित ब्यौरों का प्रकटन करेगी:

हटाई गई कंपनी का के नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, प्रकटित किया जाना
	प्रतिभूतियों में निवेश		
	प्राप्तियां		
	देय		
	हटाई गई कंपनियों द्वारा धारित शेयर		
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाना है)		

******